प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

1. प्रधानाचार्य ,मेडिकल कॉलेज ,प्रयागराज
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद– प्रयागराज ।
3. मुख्य चिकित्साधीक्षक, जिला पुरुष/महिला अस्पताल, जनपद– प्रयागराज ।

पत्र संख्याः SS Visit/NHM/2019-20/ 9685-3 दिनांकः 20-02-2020

विषय– दिनांक 29 जनवरी से 31 जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्तर की टीम के द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0एण्ड0ई0/2019–20/18/7999–2 दिनांक 20.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों के द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा 29 जनवरी से 31 जनवरी, 2020 तक जनपद प्रयागराज का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः SS Visit/NHM/2019-20/ 9685-3(7) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद प्रयागराज ।
4. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज, मण्डल– प्रयागराज।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि आख्या के बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चत कराने का कष्ट करें।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या एस0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक– नियमित टीकाकरण
एस.पी.एम.यू.–एन.एच.एम.

Scanned by CamScanner

जनपद–प्रयागराज की भ्रमण आख्या

भ्रमणकर्ता अधिकारी :– डा0 वेद प्रकाश महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण एन0एच0एम0 लखनऊ।
श्री अभिषेक यादव, सलाहकार, एस.पी.एम.यू.–एन.एच.एम., लखनऊ।
श्री कैलोल पाल, मण्डलीय लेखा प्रबन्धक –प्रयागराज मण्डल ।

भ्रमण दिनांक :–29 जनवरी से 31 जनवरी, 2020

नियमित टीकाकरण-

1. जनपद में पूर्ण प्रतिरक्षित बचो का प्रतिशत 72% है, विगत 3 वर्षो में कार्यक्रम में लगातार गिरावट आयी है इस वर्ष के मइक्रोप्लान नहीं बने है । शहरी क्षेत्र हेतु Area Demonstration एवं नियमित टीकाकरण हेतु कार्ययोजना तत्काल तैयार किये जाने कि आवश्यकता है । प्रभावी कार्ययोजना तैयार न होने के कारण समस्त बच्चो का BCG टीकाकरण न किये जाने के कारण विगत माहो एवं वर्षो में आयोजित Intensified Mission Indradhanush का लाभ भी नहीं मिल सका है तत्काल सुधार कि आवश्यकता है ।
2. सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र के प्रसव कक्षों में नवजात शिशुओं के टीकाकरण एवं जनपदीय अधिकारियो से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि न्यूनतम 2 या 3 लाभार्थी होने पर ही BCG की वैक्सीन लगाई जा रही है । जो कि उचित नहीं है, तथा बच्चे BCG टीकाकरण से वंचित रह जाते है । निर्देश दिए गए कि चिकित्सालयों में प्रत्येक नवजात शिशु को BCG द्वारा आच्छादित किया जाये तथा VHND क्षेत्र में एक भी लाभार्थी मिलने पर BCG का टीका देना सुनिश्चित किया जाये ।
3. सम्बन्धी सामग्रीओ का क्रय नहीं किया गया है, जिसके कारण सैंपल लेने में कठिनाइया आ रही है ।
4. कोल्ड चैन हैंडलर का इंसेंटिव अप्रैल 2019 से भुगतान नहीं किया गया है ।

बाल स्वास्थ्य- एच बी एन सी

1. मात्र 66% आशाओं द्वारा एच बी एन सी विजिट किया जा रहा है तथा केवल 50% नवजात शिशुओं को एच बी एन सी विजिट द्वारा आच्छादित किया जा रहा है ।

आर के एस के -अर्श काउंसलर

1. श्री अशोक मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया की काउंसलर के पद पर पुरुष नियुक्त होने के कारण महिलाये काउंसलिंग हेतु नहीं आती है, फिर भी काउंसलर द्वारा प्रतिदिन कई महिलाओ के नाम रजिस्टर में अंकित कर दिए जाते है, क्योकि कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ पुरुष एवं कुछ महिलाओ की काउंसलिंग की जानी अपेक्षित है ।

सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज

एस0एन0सी0यू0 –

1. चिकित्सालय में एन0एच0एम0 के अन्तर्गत 15 शैय्या युक्त एन0एन0सी0यू0 स्थापित है। एस0एन0सी0यू0 के साथ 6 शैय्या युक्त स्टेप डाउन वार्ड, **ब्रैस्ट फीडिंग कार्नर** एवं 7 **शैयायुक्त** के0एम0सी0 कोर्नर भी स्थापित है।

(कार्यवाही मेडिकल कॉलेज प्रशाशन)

2. स्टाफ नर्सों के 16 पदों के आपेक्ष मात्र 5 कार्यरत् है जिससे इकाई का संचालन मे कठिनाई आ रही है।
3. शिशुओं द्वारा सी0टी0 स्कैन की जाँच एस0आर0एन0 चिकित्सालय (एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय) से कराना पडता है, जहाँ पर इस जाँच के लिए शुल्क देना पड़ता है। राज्य स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे मुफ्त जाँच उपलब्ध हो सकें।
4. इकाई में विद्युत वोल्टेज फलक्च्युवेसन होने के कारण उपकरणों में बार–बार खराबियां आरी है। मरम्मत कार्य में लगभग धनराशि रू0 7.82 लाख का व्यय आना सम्भावित है।
5. एस0एन0सी0यू0 की आपॅरेशनल कास्ट के अन्तर्गत व्यय मात्र 17 प्रतिशत है। कन्जुमेबिलस आदि के कम में समस्याएं है। प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज के स्तर से ससमय अनूमोदन अपेक्षित है।

(कार्यवाही मेडिकल कॉलेज प्रशाशन)

Scanned by CamScanner

6. 2 सी0पी0ए0पी0 बी0एच0यू0 मेडिकल बी0एच0यू0 से स्थानान्तरित किया गया है, किन्तु उसका इनस्टालेसन नही हो सका है। यह उपकरण यूनिसफ द्वारा बी0एच0यू0 वाराणसी को उपलब्ध कराये गये थें तथा इनके इनस्टालेसन धनराशि रू0 5000 – 6000 का व्यय आना अपेक्षित है।

7. एस0एन0सी0यू0 हेतु नियुक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पोटल पर अंकित नवजात शिशु का फोलोअप कार्य नही किया जा रहा है। **निर्देशित किया गया कि फ़ॉलोअप सुनिश्चित करे । एक माह बाद पुनः समीक्षा कि जाय ।**

8. एस0एन0सी0यू0 मे मृत्यु दर लगभग 33 प्रतिशत है। नोडल अधिकारियों से (विभागाध्यक्ष) से वार्ता करने पर स्पष्ट हुआ कि अधिकांश रोगी अन्य चिकित्सालयों से रेफर होकर एवं जटिल रोगों से ग्रसित होते है जिसके कारण मृत्यु दर अधिक है। अवगत कराया गया है कि एस0एन0सी0यू0 प्रतापगढ से अधिकाशं रोगियों को एक दो धण्टें तक उपचार के पश्चात् सन्दर्भित कर दिया जाता है। सी0एम0एस0 प्रतापगढ़ को पत्र प्रेषित किया जाना है।

9. मेडिकल कॉलेज के प्रशासन द्वारा यूजर चार्ज न लिये जाने पर अपत्ति व्यक्त की जाती है। जिससे सिक न्यू बार्न से यूजर चार्ज लिये जाते है। इस सम्बनध में स्पष्ट दिशा–निर्देश भेजे जाना है।

(कार्यवाही महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य)

थैलेसिमिया प्रगति –

1. डॉ0 संतोष शुक्ला, नोडल ऑफिसर थैलेसिमिया के द्वारा अवगत कराया गया कि Leucofilter bag का कय स्पेसिफिकेशन उपलब्ध न होने के कारण पिछले एक वर्ष से कय नही किया जा सका है। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य स्तर से उक्त आर0सी0 एवं कय की प्रकिया किया जाना उचित होगा।

(कार्यवाही उपमहाप्रबंधक- राष्ट्रीय कार्यक्रम)

2. सिरम फैरेटिन की 6 लाख यूनिट सपलाई की गई है जब कि केवल 1 लाख यूनिट के उपयोग की सम्भावना है।

(कार्यवाही उपमहाप्रबंधक- राष्ट्रीय कार्यक्रम)

के0एम0सी0 –

1. के0एम0सी0 कार्नर हेतु स्टाफ नर्स के स्वीकृत समस्त पद रिक्त है। **(कार्यवाही मेडिकल कॉलेज प्रशाशन)**

बाल मृत्यु समीक्षा –

1. बाल मृत्यु समीक्षा की बैठक 2 माह में 1 बार होती है, रिपार्ट में मुख्यता मृत्यु का कारण अंकित है। सूझाव दिया गया कि विस्तृत समीक्षा कर मृत्यु के सभी सम्भावित कारणों को भी इंगित किया जायें **तथा मृत्यु समीक्षा बैठक में सम्बंधित चिकित्सालय के स्त्री रोग विभाग के विशेषज्ञो को भी सम्मिलित किया जाये ।**

जिला महिला चिकित्सालय–प्रयागराज

एस0एन0सी0यू0 –

1. 12 शैय्या युक्त एस0एन0सी0यू0 में 4 शैय्या युक्त स्टेपडाउन एवं 6 शैय्या युक्त के0एम0सी0 वार्ड सथपित है।
2. एस0एन0सी0यू0 में **समस्त बच्चो का फोलोअप नहीं किया जा रहा है ।**
3. वेटिलेटर की आवश्कता है।वेटिलेटर स्थापित हो जाने पर सन्दर्भित किये जाने वाले बच्चो की सख्या कम भी की जा सकती है।
4. सेन्ट्रालाइज ऑक्सीजन उपलब्ध नही है। डी0जी0एम0एच0 के कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

जिला महिला चिकित्सालय – प्रयागराज

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही	दायित्व
• चिकित्सालय में आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैनात मानव संसाधन से कार्य लिये जाने में कठिनाई होती है क्योकि के कार्यालय से प्रत्येक वर्ष नयी आउट सोर्सिंग का चयन किया जाता है।	• आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैनात मानव संसाधन से कार्य लिये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से नियमानुसार कार्य लिया जाना अपेक्षित है।	• ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0 / डी0पी0एम0 / क्यालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक

Scanned by CamScanner

• एस0एन0सी0यू0 का नव निर्मत एम0सी0एच0 विंग के साथ लिंकेज नही है।	• एस0एन0सी0यू0 का नव निर्मत एम0सी0एच0 विंग के साथ लिंकेज कराये जाये जिससे चिकित्सा सुविधाये सुलभ हो सके ।	• डी0पी0एम0 / क्यालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• एम0सी0एच0 वार्ड में प्रचार– प्रसार सामाग्री (जैसे–Immunization schedule. family planning, Maternal Health) परिलक्षित नही है।	• चिकित्सालय परिसर में मानकानुसार प्रचार –प्रसार सामग्री परिलक्षित किया जाना अपेक्षित है।	• डी0पी0एम0 / क्यालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• प्रसव कक्ष का न्यू बोर्न केयर कोर्नर कियाशील नही है।	• न्यू बोर्न केयर कोर्नर में आवश्यक उपकरण एवं consumables उपलब्ध कराते हुये शीघ्र अति शीघ्र कियाशील करायें।	• डी0पी0एम0 / क्यालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• गम्भीर रोग से ग्रसित नव जात शिशुओं में कल्चर एवं सेंसटिबिटी की जॉच हेतु कोई व्यवस्था नही है।	• कल्चर एवं सेंसटिबिटी की जॉच **मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग से करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायें।**	• डी0पी0एम0 / क्यालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• एन0बी0सी0सी0 में सक्सन डिवाइस एम्बूबैग उपलब्ध नही है।	• एन0बी0सी0सी0 में सक्सन डिवाइस एम्बूबैग उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायें।	• डी0पी0एम0 / क्यालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• प्रसव कक्ष में दो डिलवरी टेबिल उपलब्ध है किन्तु निजता हेतु पर्दे नही लगें है। फार्मासिस्ट का स्टोर में दवाईयॉ एवं अन्य समान अव्यवस्थित था	• प्रसव कक्ष में दो डिलवरी टेबिल के बीच में निजता हेतु पर्दे लगाये जायें।	• डी0सी0पी0एम0 / क्यालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक /
• 108 एम्बुलेन्स में गाड़ी न0 UP32BG9421 में तैनात ई0एम0टी0 स्किल्ड नही है एवं Firstaid Box के बारे में कोई भी जानकारी नही है।	• 108 एम्बुलेन्स में गाड़ी के ई0एम0टी0 को प्रशिक्षित किया जाय एवं **पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाये** ।	GVK-EMRI/महाप्रबंधक-EMTS
• 108 एम्बुलेन्स की ई0एमय0टी0 द्वारा अवगत कराया गया कि गाड़ी में उपलब्ध Firstaid Box काई भी दवा दिये जाने से पूर्व राज्य स्तर से अनुमोदन लिया जाना अनिवार्य है। **फलस्वरूप अबतक किसी भी औषधि का उपयोग नहीं किया गया है** ।	• 108 एवं 102 एम्बुलेन्स हेतु राज्य स्तर से प्रेषित गाईड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायें।	GVK-EMRI/महाप्रबंधक-EMTS

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –जसरा

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही	दायित्व
• एन0टी0ई0पी0 कार्यकम के अन्तर्गत एल0ए0डी0 माइक्रोस्कोप उपलब्ध नही है।	• एल0ए0डी0 माइक्रोस्कोप की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायें।	• डीटीओ / डी0पी0एम0 / अधीक्षक
• लैब में स्पुटम स्लाइड के निस्तारण की कोई व्यवस्था नही थी।	• लैब में स्पुटम स्लाइड के निस्तारण की नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायें।	• डीटीओ / डी0पी0एम0 / अधीक्षक
• चिकित्सालय का लैब रूम अत्यन्त जर्जर स्थिति में है एवं रिनोवेशन की आवश्यकता है।	• चिकित्सालय का लैब रूम का रिनोवेशन कराते हुये समुचित साफ–सफाई कराई जायें।	• डीटीओ / डी0पी0एम0 / अधीक्षक
		• डीटीओ / डी0पी0एम0 / अधीक्षक

Scanned by CamScanner

• समस्त टी0बी0 रोगीयों का ब्लड सुगर की जॉच कराया जाना अनिवार्य है किन्तु चिकित्सालय में आने वाले टी0बी0 रोगियों की जॉच नही कराई जा रही है।	• एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समस्त टी0बी0 रोगियों का ब्लड सुगर जॉच कराया जाना सुनिश्चित करें।।	
• कोल्ड–चेन रूम के आई0एल0आर0 में टी0टी0 की वैक्सीन रखी गई थी जोकि नियमानुसार उचित नही है।	• राज्य स्तर से प्रेषित की गई दिशा–निर्देशों के अनुसार ILR में **नियमित टीकाकरण सम्बन्धी वैक्सीन के कोई भी अन्य वैक्सीन न रखी जाय** ।	• डी आई ओ /डी0पी0एम0 /अधीक्षक
• प्रसव कक्ष में पक्चर केलीसपैड डिलेवरी टेबल पर रखा था तथा डिजिटल घड़ी उपलब्ध नही है।	• प्रसव कक्ष में केलीसपैड तथा डिजिटल घड़ी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायें।	• डी0पी0एम0 / क्वालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• प्रसव कक्ष में लगे पखे साफ नही है एवं प्रसव कक्ष में साफ–सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नही है।	• प्रसव कक्ष में पर्याप्त साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायें।	• डी0पी0एम0 / क्वालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• पूरे चिकित्सालय परिसर में जगह–जगह पर खुले तार जा रहे है जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है।	• चिकित्सालय परिसर में खुले तारों को बाक्स में कवर किया जाना सुनिश्चित करें।	• डी0पी0एम0 / क्वालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• चिकित्सालय में फैमली प्लानिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्त्रा एवं छाया अगस्त 2019 से उपलब्ध नही है।	• चिकित्सालय में फैमली प्लानिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्त्रा एवं छाया की उपलब्धता सुनिश्चित करें।	• डी0पी0एम0 / क्वालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• प्रसव कक्ष में डिसचार्ज रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर नही बनाया गया है।	• प्रसव कक्ष में डिसचार्ज रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर शीध्र बनाते हुये प्रत्येक रेफरल एवं डिसचार्ज को अंकित कराना सुनिश्चित करें।	• डी0पी0एम0 / क्वालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• चिकित्सालय में **समस्त** नवजात शिशुओ को BCG & OPV की वैक्सीन दी जा रही है लेकिन अंकित नही की जा रही है एवं आर0सी0एच0 नम्बर भी अंकित नही है।	• समस्त नवजात शिशु को दी जाने वाली बर्थ डोज की वैक्सीन लगाना एवं अंकन आर0सी0एच0 रजिस्टर पर कराया जायें जिससे लेफ्ट ऑउट शिशुओ का पता लगया जा सकें।	• डी आई ओ /डी0पी0एम0 /अधीक्षक
• जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत भर्ती गर्भवती माताओं के बी0एच0टी0 को पूर्ण नही किया जा रहा है तथ डिसचार्ज स्लिप भी नही दी जा रही है।	• प्रत्येक बी0एच0टी0 के समस्त कॉलम को पूर्ण कराई जायें एवं डिसचार्ज स्लिप दी जायें।	• डी0पी0एम0 / क्वालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक
• आर0के0एस0 की पिछली बैठक दिनांक 20.12.2019 को सम्पादित हुई थी किन्तु मिटिंग का रजिस्टर पूर्ण नही था, बैठक का कार्यवृत्त भी जारी नही किया गया था तथा नवीन प्रस्ताव एवं बैठक की कार्यवाही उल्लेखित नही थी।	• आर0के0एस0 की बैठक को नियमानुसार कराई जायें एवं प्रत्येक बैठक के उपरान्त मिटिंग का रजिस्टर पूर्ण कराया जायें साथही बैठक का कार्यवृत्त जारी कर नवीन प्रस्ताव एवं बैठक की कार्यवाही भी उल्लेखित की जायें।	• डी0पी0एम0 / क्वालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक

Scanned by CamScanner

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –शंकरगढ़

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही	दायित्व
• चिकित्सालय में स्थापित टैलीमेडिसन केंद्र में ई.सी.जी.उपकरण एवं सोफ्टवेयर की अनुउपलब्धता के कारण मरीजों को लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है। • बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार नही कराया जा रहा है।	चिकित्सालय में स्थापित टैलीमेडिसन केंद्र के उपकरणों एवं सोफ्टवेयर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायें जिससें मरीजों को टैलीमेडिसन का लाभ प्राप्त हो सकें। • बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार कराया जायें।	महाप्रबंधक-प्रोक्योरमेंट • डी0पी0एम0 / क्यालिटी कन्सल्टेट / अधीक्षक

वित्तीय अवलोकन विन्दु

जिला महिला चिकित्सालय–

दिनांक 30.01.2020 को जिला महिला चिकित्सालय, प्रयागराज का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। परन्तु पूर्व से सूचना होने के उपरान्त भी श्री रवि मधवार, लेखा लिपिक व श्री फैजल, लेखाकार, एन.एच.एम. उपस्थित नहीं थे। जिसके कारण जिला महिला चिकित्सालय, प्रयागराज का एन.एच.एम. गतिविधि से सम्बन्धित लेखाभिलेख अवलोकन नहीं किया जा सका।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरा, प्रयागराज –

दिनांक 31.01.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरा का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया एवं एन.एच.एम. गतिविधि से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखाभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिसका विन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

क्र.सं.	अवलोकन विन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है	जिम्मेदार व्यक्ति
1	कुछ मदों में एफ.एम.आर. में दर्शाये जा रहें व्यय वास्तविक व्यय से भिन्नता पाया गया।	आगामी एफ.एम.आर. प्रेषित किये जाने से पूर्व सभी मदों का व्यय मिलान किया जाने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक / अधीक्षक
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरा द्वारा भुगतान किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक का दायित्व है, कि पी. एफ.एम.एस. एडवाइज जारी करने से पूर्व प्रथम एवं द्वितीय हस्ताक्षरी से सम्बन्धित बिल / बाउचर के भुगतान हेतु नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त करें।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक / अधीक्षक
3	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा मैनुअल कैशबुक माह नवम्बर, 2019 तक लिखा गया है।	प्रत्येक माह मैनुअल कैशबुक का अंकन समय से किया जाना आवश्यक है। जिसे नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय हस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन उपरान्त हस्ताक्षर भी कराया जाना है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / अधीक्षक
4	बैंक समाधान विवरण माह नवम्बर, 2019 तक बनाया गया है।	प्रत्येक माह बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर कैशबुक से मिलान उपरान्त बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाये।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / अधीक्षक

Scanned by CamScanner

5	बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा जारी बिल में अंकित कन्ज्युमबेल सामग्री को फार्मासिस्ट से सत्यापित नहीं कराया जा रहा है।	बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही कन्ज्युमबेल सामग्री को सर्वप्रथम फार्मासिस्ट द्वारा कन्ज्युमबेल स्टॉक बुक में अंकित किये जाने के उपरान्त बिल को सत्यापित किया जाना आवश्यक है।	फार्मासिस्ट / ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक / अधीक्षक
6	आर.बी.एस.के. एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपद स्तर से अनुबन्धित वाहनों का भुगतान सी0एच0सी0 जसरा से किया जा रहा है, परन्तु वाहनों का अनुबन्ध पत्र सी0एच0सी0 जसरा में उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण भुगतान अनुबन्ध पत्रों में दिए गए नियम एवं शर्तो के अनुसार हो रहा है या नहीं का अवलोकन नहीं किया जा सका।	प्रत्येक वाहन का अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 पर उपलब्ध होना अनिवार्य है एवं भुगतान अनुबन्ध पत्र में दिए गए नियम एवं शर्तो के अधीन ही किया जाना चाहिए।	जनपद स्तरीय सम्बन्धित नोडल अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन.एच.एम. / अधीक्षक / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक
7	टी.डी.एस. की कटौती नियमानुसार किया जा रहा है, परन्तु निर्धारित समयावधि में धनराशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा नहीं किया जा रहा है।	प्रत्येक माह होने वाले भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती उपरान्त धनराशि चालान के माध्यम से प्रत्येक दशा में अगले माह के 07 तारीख से पहले बैंक में जमा किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की दशा में आयकर विभाग के नियमानुसार अधिभार/ब्याज का भी प्राविधान है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक / अधीक्षक
8	टी.डी.एस. का त्रैमासिक रिटर्न समय से फाइल नहीं किया जा रहा है।	प्रत्येक त्रैमास में होने वाले टी.डी.एस. कटौती का टी.डी.एस. रिटर्न आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा पर त्रैमासिक टी.डी.एस. रिटर्न फाइल न किये जाने की दशा में आयकर विभाग के नियमानुसार दण्ड भी निर्धारित है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक / अधीक्षक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरगढ़, प्रयागराज –

दिनांक 31.01.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरगढ़, प्रयागराज का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। परन्तु पूर्व से सूचना होने के उपरान्त भी ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, एन.एच.एम. उपस्थित नहीं थे। जिसके कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरगढ़, प्रयागराज का एन.एच.एम. गतिविधि से सम्बन्धित लेखाभिलेख अवलोकन नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2019–20 में किये गये आशा भुगतान एवं जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिसका विन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

क्र.सं.	अवलोकन विन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है	जिम्मेदार व्यक्ति
1	बी.सी.पी.एम. द्वारा आशा भुगतान रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	नियमानुसार आशा भुगतान रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर बनाया जाना आवश्यक है।	बी0सी0पी0एम0 / अधीक्षक

Scanned by CamScanner

2	आशा बाउचर में भरे गये धनराशि तथा भुगतान धनराशि में अन्तर पाया गया।	आशा बाउचर प्रत्येक माह आशा द्वारा किये गये कार्यो के आधार पर उनके द्वारा दिया जाने वाला क्लेम प्रपत्र है। जिसका कार्य के आधार पर सत्यापन सम्बन्धित ए0एन0एम0 द्वारा किया जाता है। आशा क्लस्टर बैठक में आशा द्वारा उपलब्ध कराये गये बाउचर की जॉच भी बी0सी0पी0एम0 द्वारा की जानी चाहिए एवं कार्य के आधार पर किये गये क्लेम प्रपत्र में यदि अन्तर हो तो वास्तविक कार्य के अनुरूप प्रपत्र में सुधार कराया जाना चाहिए।	बी0सी0पी0एम0 / ए0एन0एम0 / अधीक्षक
3	कुछ आशा बाउचर का अवलोकन करने पर पाया गया, कि आशा भुगतान प्रपत्र में न तो आशा द्वारा हस्ताक्षर किया जा रहा है और न ही ए0एन0एम0/बी0सी0पी0एम0 द्वारा सत्यापित ही किया जा रहा है।	प्रत्येक आशा बाउचर को सम्बन्धित आशा द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए एवं जॉचोपरान्त ए0एन0एम0 / बी0सी0पी0एम0 द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए तदोपरान्त भुगतान प्रक्रिया में लाना चाहिए।	बी0सी0पी0एम0 / ए0एन0एम0 / अधीक्षक
4	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसव पूर्व देखभाल एवं संस्थागत प्रसव में आशा द्वारा किए गए सहायता हेतु 2 किश्तों में क्रमशः रु0 300.00 एवं रु0 300.00 मात्र की दर से भुगतान किया जाता है। सी0एच0सी0 शंकरगढ़ में जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी रजिस्टर में आशा को दी गई धनराशि के कालम में स्टाफ नर्स द्वारा रु0 300 या रु0 600 मात्र भरा जा रहा है, उसी आधार पर भुगतान भी किया जा रहा है। परन्तु भुगतान से पूर्व इसकी जॉच सम्बन्धित अभिलेख से किया जाना आवश्यक है, कि आशा द्वारा उनके लाभार्थी को क्या-क्या सेवाएं प्रदान की गई है।	जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी रजिस्टर में आशा को दी गई धनराशि के कालम में भुगतान योग्य धनराशि अंकित करते समय यह भी अंकित किया जाये कि आशा द्वारा लाभार्थी को कितनी बार जॉच कराई गई है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आशा का भुगतान सही है अथवा नहीं। साथ ही साथ सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी किया जाना चाहिए।	स्टाफ नर्स / बी0सी0पी0एम0 / ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / अधीक्षक

18.2.2020
(अभिषेक यादव)
तकनीकी परामर्शदाता
राष्ट्रीय कार्यक्रम

18/02/2020
डा0 वेद प्रकाश
महाप्रबन्धक-आर0आई0
एन0एच0एम0 यू0पी0

Scanned by CamScanner